

कैवियटकर्ता द्वारा श्री दीवान सिंह एजीपी।

प्रकरण आज प्रस्तुत कैवियट पर आगामी कार्यवाही हेतु नियत है।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि हस्तगत कैवियट दिनांक : 29/11/2016 आज से 90 दिवस पूर्व प्रस्तुत की गई थी। परन्तु इस बीच अनावेदक ब्रजेन्द्र सिंह द्वारा इस न्यायालय में कैवियटकर्ता के विरुद्ध कोई प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

कैवियटकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया कि अब वह अपनी कैवियट पर बल देना नहीं चाहते हैं, इसलिए उनकी कैवियट निरस्त की जाये।

कैवियट की अवधि 90 दिवस पूर्ण हो जाने, कैवियटकर्ता द्वारा कैवियट पर बल न दिये जाने एवं निरस्त किये जाने का निवेदन किये जाने के कारण कैवियट निरस्त की गई।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रस्तुत किया जाये।